न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शामली स्थित कैराना।

उपस्थित **–इन्द्र प्रीत सिंह जोश, उच्चतर न्यायिक सेवा।**

(J.O. Code- UP 1894)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–**1009/2026**

अंकुश पुत्र कालू, निवासी ग्राम लिसाढ़, थाना शामली, जिला शामली।

..... **आवेदक/अभियुक्त,**

बनाम

राज्य ..... **विपक्षी,**

मु0अ0सं0–182/2026,
धारा–125,352,351(3),189(4)
बी0एन0एस0 एवं
धारा 3/7/25 आयुध अधिनियम,
थाना–शामली, जिला शाामली।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता–**श्री सतेन्द्र सिंह देशवाल,**
राज्य**–श्री संजय चौहान, जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक,**
दिनांकः 09.07.2026

आवेदक/अभियुक्त **अंकुश** की ओर से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र शपथकर्ता कालू पुत्र दलेल द्वारा इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का पैरोकार है तथा आवेदक/अभियुक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र हैं, अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र न तो सत्र न्यायालय न ही माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी मुकदमा खूबसिंह, उपनिरीक्षक द्वारा संबंधित थाने पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर 6–7 व्यक्तियों द्वारा अवैध असलहा रखकर दहशत फैलाने के आशय से गाली गलौज करते हुए व आपराधिक धमकी देते हुए वीडियो प्राप्त हुआ, जिसकी जांच वादी द्वारा की गयी तो वाक्यात इस प्रकार है कि उक्त वायरल वीडियो अमित की फेसबुक आई डी पर डालकर वायरल किया गया, जिसमें उसके साथ बैठे अन्य लड़कों की जानकारी की गयी तो आकाश, अंकुश, पारस, सोनू, मुकुल के रूप में पहचान हुई, जिनके द्वारा विधि विरूद्ध एकत्रित होकर अवैध तमंचा व पिस्टल को दिखाकर गाली गलौज करते हुए आपराधिक धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमित आदि उपरोक्त द्वारा वायरल वीडियो में अवैध तमंचा व पिस्टल एवं कारतूस का खुला प्रदर्शन करते हुए गाली गलौज व आपराधिक धमकी दी जा रही है। इनका यह कृत्य आम लोगों में भय उत्पन्न करते हुए दहशत फैलाने की हद को जाता है। उक्त तहरीर के आधार पर संबधित थाने पर अभियुक्तगण अमित, आकाश, अंकुश, पारस, सोनू, मुकुल के विरूद्ध मुकदमा अन्तर्गत धारा 125,352,351(3),189(4) बी. एन. एस. व धारा 3/7/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत हुआ।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त का घटना से कोई सेराकार नहीं है। आवेदक/अभियुक्त को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया है, जबकि सोशल मिडिया पर वायरल वीडियो किसी ओर गांव के अमित पुत्र रविन्द्र, निवासी ग्राम किवाना, थाना कांधला के फेसबुक आई डी पर डालकर वायरल किये गये हैं। आवेदक/अभियुक्त गांव लिसाढ़, थाना शामली, जिला शामली का है। वर्तमान प्राथमिकी झूठे व फर्जी तथ्यों पर पुलिस द्वारा रंजिशन दर्ज करायी गयी है। उस पर आयुध अधिनियम की धारा 3, 7 व 25 लगायी गयी है, जबकि उसके कब्जे से कोई भी असलहा बरामद नहीं हुआ। फोटो के आधार पर आयुध अधिनियम की कोई धारा किसी पर नहीं लगायी जा सकती। आवेदक/अभियुक्त को थाना पुलिस परेशान कर रही है और गिरफ्तारी की आशंका बनी हुई है। सभी धाराएं जमानतीय है, केवल आयुध अधिनियम की धारा अजमानतीय है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार जो वीडियो वायरल हुई है, वह ग्राम किवाना, थाना कांधला में हुई है और

INDERPREET JOSH
Digitally signed by INDERPREET JOSH
Date: 2026.07.20 12:04:32 +01'00'

शामली कोतवाली थाना क्षेत्र में यह घटना घटित नहीं हुई है। इस प्रकार कथित घटना की प्राथमिकी थाना कांधला में दर्ज होनी चाहिए थी, जो कि थाना शामली में दर्ज हुई है। वह भारतीय नागरिक है, उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है, वह विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। इसके आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा सहअभियुक्तगण अमित एवं मुकुल का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जा चुका है तथा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.06.2026 को सहअभियुक्त पारस एवं दिनांक 16.06.2026 को सहअभियुक्त सोनू उर्फ निखिल कुमार की अग्रिम जमानत स्वीकार की जा चुकी है। उपरोक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो बनाकर उसमें अवैध असलहा रखकर दहशत फैलाने के आशय से गाली गलौज कर आपराधिक धमकी देते हुए वीडियो वायरल करने का आरोप है। कथित मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट एक वायरल वीडियो के आधार पर दिनांक 03.05.2026 को दर्ज करायी गयी थी, जिसमें आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ वीडियो में अवैध असलहा रखकर दहशत फैलाना बताया गया है, परन्तु मामले में अभी तक किसी असलहे की बरामदगी नहीं हुई है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका सं० 11541/2026, अमित व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 27.05.2026 के माध्यम से सहअभियुक्तगण अमित एवं मुकुल का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार एवं सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम सी बी आई आदि में पारित दिशा–निर्देशो एवं भिन्न–भिन्न दिशा–निर्देशो का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 08.06.2026 को सहअभियुक्त पारस एवं दिनांक 16.06.2026 को सहअभियुक्त सोनू उर्फ निखिल कुमार की अग्रिम जमानत स्वीकार की जा चुकी है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही आवेदक/अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य प्रकाश में आया है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना यह न्यायालय आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का उचित आधार पाता है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अंकुश** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को अंकन 50,000/–(रू0 पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि अनुरूप दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता हैः–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।

दिनांक–09.07.2026

(इन्द्र प्रीत सिंह जोश)
सत्र न्यायाधीश,
शामली।